

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 403 सन् 2016

पंजीयन दिनांक 13.10.2016

1. मोहनलाल पिता प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. सुखी बाई पत्नि प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरुद्ध

1. गोपाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. श्यामलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. मुन्नी बाई पिता मोतीलाल पति शांतिलाल निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. गुड्डी बाई पिता मोतीलाल पति गोपाललाल निवासी बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. दाखी बाई पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. बंशीलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. सोहनलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
8. लाभचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
9. कला बाई पुत्री मांगीलाल पत्नि सोहनलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
10. कैलाश चन्द पिता भागु जाति धाकड़ निवासी बरखेडा तहसील मनासा जिला नीमच
11. शातिबाई पुत्री भागु जाति धाकड़ निवासी बरखेडा तहसील मनासा जिला नीमच
12. मंजुबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि कालुराम जाति धाकड़ निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
13. राधा बाई पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
14. संतोषबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि पप्पुलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
15. सुनीता पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रहलाद जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
16. धापुबाई पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

17. चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा निम्बाहेडा जरिये शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास शाखा निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
-रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
बमिसल क्रमांक 84/2015 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2015

- उपस्थित- 1. छोगालाल जाट -अधिवक्ता अपीलान्तगण
2. सावन श्रीमाली -रेस्पोंडेन्टगण-1
3. रेस्पोंडेन्ट सं. 2 से 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पों.सं. 18

(1) प्रकरण संख्या - डिक्री 402 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 13.10.2016

1. मोहनलाल पिता प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. सुखी बाई पत्नि प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांतगण

विरुद्ध

1. गोपाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. श्यामलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. मुन्नी बाई पिता मोतीलाल पति शांतिलाल निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. गुड्डी बाई पिता मोतीलाल पति गोपाललाल निवासी बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. दाखी बाई पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. बंशीलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. सोहनलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
8. लाभचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
9. कला बाई पुत्री मांगीलाल पत्नि सोहनलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
10. कैलाश चन्द पिता भागु जाति धाकड़ निवासी बरखेडा तहसील मनासा जिला चित्तौड़गढ़

तीमच

राजस्व अपील प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)

11. शांतिबाई पुत्री भागु जाति धाकड़ निवासी बरखेडा तहसील मनासा जिला नीमच
12. मंजुबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि कालुराम जाति धाकड़ निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
13. राधा बाई पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
14. संतोषबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि पप्पुलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
15. सुनीता पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रहलाद जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
16. धापुबाई पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
17. चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा निम्बाहेडा जरिये शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास शाखा निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा

बमिसल क्रमांक 84/2015 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015

- उपस्थित—
1. छोगालाल जाट —अधिवक्ता अपीलान्तगण
 2. सावन श्रीमाली —रेस्पोंडेन्टगण—1
 3. रेस्पोंडेन्ट सं. 2 से 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित
 4. पूरणमल स्वर्णकार—राजकीय अभिभाषक—रेस्पों.सं. 18

निर्णय

दिनांक 17.02.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्त व अन्य रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा सरसी तहसील निम्बाहेडा की खाता सं. 228 में दर्ज आराजी नम्बर 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 122, 442, 443, 447, 451, 452, 459, 479, 480, 482, 483, 484, 492, 493, 498, 499, 504, 505, 676, 755, 756, 762, 763, 787, 854, 892, 936, 1609, 1619, 1620 कुल किता 37 रकबा 5.53 हैक्टेयर के सम्बन्ध में वादपत्र प्रस्तुत किया कि वह यह निवेदन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी की पैतृक एवं खरीदशुदा कृषि आराजीयात है जिसमें रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी का 6/25 हक व हिस्सा निहित है। शेष हक व हिस्सा अपीलान्तगण व रेस्पोंडेन्ट सं. 2 से 16 का निहित है। उसी अनुसार रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी अपीलान्तगण प्रतिवादीगण व रेस्पोंडेन्ट सं. 2 से 16 रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी के हक व हिस्से से इंकार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी अपना हक व हिस्सा अपीलान्तगण व रेस्पोंडेन्ट

20

राजस्थान अपील प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सं. 2 से 16 के साथ संयुक्त रूप से नहीं रखना चाहते हैं जिससे रेस्पोंडेंट सं.1 वादी का हक व हिस्से से बंटवाडा कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोंडेंट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.06.2015 को प्रस्तुत किया। उसी दिन अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण में जांच की जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.07.2015 नियत की गई। जिसमें अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेंटगण के नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया। अपीलान्टगण व रेस्पोंडेंटगण को बिना नोटिस प्राप्त हुए प्रकरण बिना तामील दिनांक 30.06.2015 को लोक अदालत कैम्प सरसी में नियत किया गया। व लोक अदालत में रेस्पोंडेंट सं. 1 वादी उपस्थित हुआ। उसी दिन प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित दी गई। व उसके पश्चात् प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 की पालना में कमिश्नर तहसीलदार निम्बाहेडा से फर्द बंटवाडा लिया जाकर दिनांक 10.07.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.06.2015 को पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में फर्द बंटवाडा कमिश्नर द्वारा तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया व उसी फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की।

इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर एक साथ सुनी गई। व दोनो अपीलो में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली विवादित आराजीयात पक्षकारान समान होने से दोनो अपीलो को एक साथ निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

इस न्यायालय में अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना तामील किये बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत में प्रकरण नियत किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत दिनांक 10.07.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। जिससे अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीले स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट सं. 1 वादी विवादित आराजीयात का सहखातेदार है। सहखातेदार को अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजीयात के सम्बन्ध में बंटवाडा कराये जाने का पूर्णतया वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इन्ही अधिकारों के तहत अपीलान्तरण ने बंटवाडा का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के तहत नियत किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री तत्पश्चात् उक्त आराजीयात का कमिश्नर से फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर लोक अदालत के तहत लोक अदालत की भावना से अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित एवं विधिसंगत है।

अधिवक्ता रैस्पोजेन्ट सं. 18 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्तरण की ओर से प्रस्तुत अपील आधारहीन होना बताते हुए निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से अपीलान्तरण सम्पूर्ण आराजीयात 6/25 का खातेदार होना अंकित है। सहखातेदार को अपनी आराजीयात का बंटवाडा कराये जाने का अधिकार होने से बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत कैम्प में नियत किया जाकर रैस्पोजेन्ट सं. 1 वादी के हक व हिस्से का विभाजन किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया व उक्त फर्द बंटवाडे अनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व उसकी पालना में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्तरण अपील क्रमांक डिक्री 403/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 402/2016 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 84/2015 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।



(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

- (5) दारवी बार् पाले मैत्री लाल जाहि धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (6) बंशी लाल पिला मांगी लाल जाहि धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (7) सोहन लाल पिला मांगी लाल धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा
- (8) लामचन्द पिला मांगी लाल जाहि धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (9) कल्याण बार् पुत्री मांगी लाल पाले सोहन लाल जाहि धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (10) केंलाशचन्द पिला भागु जाहि धाकड निवासी सरसे तहसील मनासा जिला भीमन
- (11) शंभू बाई पुत्री भागु जाहि धाकड निवासी सरसे तहसील मनासा जिला भीमन
- (12) मंडू बाई पुत्री जगन्नाथ पाले कायु राम जाहि धाकड निवासी गेलाना तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (13) राधा बाई पुत्री जगन्नाथ जाहि धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (14) संतोष बाई पुत्री जगन्नाथ पाले कपुलाल जाहि धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (15) सुनील पुत्री जगन्नाथ पाले उहलाद जाहि धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (16) धापुबाई पाले जगन्नाथ जाहि धाकड निवासी सरसी तहसील निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (17) चिर्लेडगाव तहसील श्रमिक शाखा निम्बोहेडा जिल्हा शाखा उहलाद चिर्लेडगाव तहसील श्रमिक शाखा निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव
- (18) राजस्थान सरकार जिल्हा तहसील धार निम्बोहेडा जिला चिर्लेडगाव